

कैंसर टीके पर संसदीय समिति की रिपोर्ट

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध संसद की स्थायी समिति ने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर टीके के जो परीक्षण भारत में किए गए थे उनमें उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, प्रतिकूल घटनाओं की सही निगरानी नहीं की गई थी और सारे सहभागियों को पूरी जानकारी देकर सहमति हासिल नहीं की गई थी।

गौरतलब है कि यूएस की एक परमार्थ संस्था - प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी इन हेल्थ (पाथ) - ने कई भारतीय संस्थाओं के साथ मिलकर देश भर में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के एक टीके का परीक्षण किया था। यह टीका दो कैंसर वायरसों के खिलाफ कारगर बताया जाता है। परीक्षण के दौरान सात बच्चियों की मृत्यु के बाद यह कार्यक्रम रोक दिया गया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरा कार्यक्रम गड़बड़ था।

पाथ ने इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को अनुचित बताया है। संस्था का कहना है कि यह रिपोर्ट कई मामलों में गलत जानकारी पर आधारित है।

महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर ही है। विश्व के स्तर पर देखें तो हर साल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के करीब 5 लाख नए मामले सामने आते हैं और इसकी वजह से करीब ढाई लाख मौतें होती हैं। भारत में ग्रीवा कैंसर की वजह से हर साल 73,000 मौतें होने का अनुमान है। यह कैंसर जिस वायरस की वजह से होता है उसे एचपीवी कहते हैं।

एचपीवी के खिलाफ पहला टीका था गार्डसिल और

2006 में इसे यूएस खाद्य व औषधि प्रशासन की मंजूरी मिली थी। इसके दो साल बाद भारत ने भी इस टीके को मंजूरी दे दी थी। इसका उत्पादन मर्क नामक कंपनी करती है। इसके अलावा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा निर्मित एक अन्य टीके सर्वेरिक्स को यूएस खाद्य व औषधि प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है। पाथ के मुताबिक इन दोनों टीकों को तथाकथित परीक्षण से पहले ही अनुमति प्राप्त थी।

परीक्षण के दौरान दो जगह अध्ययन किए जाने थे - एक गार्डसिल का अध्ययन आंध्र प्रदेश में 10-14 साल की 13,000 लड़कियों पर और दूसरा सर्वेरिक्स का अध्ययन गुजरात में 10,000 लड़कियों पर। पाथ के मुताबिक अध्ययन का मकसद टीकों का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह देखना था कि क्या इन टीकों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करना संभव है।

यह अध्ययन 2009 में शुरू हुआ था और 2011 तक चलना था मगर लड़कियों की मौतों के कारण अध्ययन को बीच में ही रोक देना पड़ा था। उस समय एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि मौतों की वजह से नहीं हुई थीं। मगर अब संसद की स्थायी समिति ने पाया है कि अध्ययन की डिज़ाइन व क्रियान्वयन की खामियों के चलते ही ये मौतें हुई थीं। रिपोर्ट में पाथ के अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आंध्र प्रदेश व गुजरात सरकार की भी खिंचाई की गई है। एक मत यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पाथ पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

(स्रोत फीचर्स)